उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या– उ.प.रे./प्र.का./संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/1/25

दिनांक 24.01.2025

मण्डल रेल प्रबंधक– अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 1/2025

विषयः– स्टेशन पर वाहनो को सुरक्षित रखना ।

5.23. **स्टेशन पर वाहनो को सुरक्षित रखनाः– स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि स्टेशन पर खड़े हुए वाहन विशेष अनुदेशों के अनुसार भली प्रकार बांध दिए गए हैं।**

स.नि. 5.23 (1) जब तक कि कोई लाइन या कोई लाइनों का समूह को निकट की परिचालित लाइनों से पृथक न कर दिया गया हो, उस लाइन या लाइनों के समूह पर खड़ा हुआ कोई डिब्बा इस प्रकार रखा जाना और संरक्षित रहना चाहिये, कि वह परिचालित लाइनों को अवरोधित न करता हो और न ही उसके द्वारा परिचालित लाइनों को अवरोधित किया जा सकता हो। जब डिब्बे/लोड/गाड़ी स्टेशन पर स्थिर किये जाये तो स्टेशन मास्टर/यातायात कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–

(क) वाहन/लोड/गाडी को कम से कम दो चैनों से प्रत्येक सिरे पर एक–एक चैन बाँध कर हाथ तालित किया जाये।

(ख) कम से कम चार स्प्रेग/वुडन वेज का उपयोग किया जाये जो प्रत्येक सिरे पर सबसे बाहरी पहिये के जोडों के नीचे दो–दो लगाये जाये।

(ग) दोनो सिरों के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेकों को पूर्णतया कस दें। कोचिंग वाहनों के स्थिर होने की स्थिति में एसएलआर में गार्ड के हैंड ब्रेक का अवश्य उपयोग किया जाये। हैंड ब्रेकों को गार्ड के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाये और गार्ड की अनुपस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के निजी पर्यवेक्षण में लगाये जाये।

(घ) स्थिर लोड/गाडी के वाहनों को एक साथ जोड दिया जाये। स्थिर लोड को किसी कारण से अलग किया जाना हो तो अलग किये गये ऐसे प्रत्येक भाग को सुरक्षित करने के लिए अलग–अलग लोड माना जाये।

(ङ) अवरूद्ध लाइन के कांटों को लाइन के विरूद्ध सैट करके क्लैम्प लगा कर हाथ तालित कर देने चाहिये। यदि डेड एण्ड और ट्रेप कांटा हो तो कांटों को उस तरफ सैट करके हाथ तालित कर देना चाहिये। यदि स्कॉच ब्लॉक हो तो उसका अवश्य उपयोग करें।

(च) सम्बन्धित सिगनल तथा पाइंट बटनों/स्लाइडों/लीवरों इत्यादि पर स्टॉप कॉलर रखें।

(छ) टीएसआर और स्टेशन मास्टर की डायरी में लाल स्याही से इस आशय की टिप्पणी लिखें कि लाइन से ब्लॉक है और लोड को सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियाँ बरती गयी हैं।

(ज) किसी भी लोड/गाडी/लोको को स्थिर कर दिये जाने के पश्चात स्टेशन मास्टर निजी अंक से सेक्शन नियंत्रक को सूचित करेगा कि लोड/गाडी/लोको को स्थिर व सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सावधानियाँ बरती गयी हैं।

स.नि. 5.23 (2) 400 में 1 या इससे ज्यादा (स्टीपर) ग्रेडियेंट वाले स्टेशन पर वाहन/लोड/गाडी को स्टेबल करते समय बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानियाँ, जो (सीआरएस द्वारा) अनुमोदित विशेष निर्देशों के तहत है और संबद्ध स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमों में शामिल है, का निष्ठा से अनुपालन किया जाये। अनुमोदित विशेष निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित हिदायतों के अलावा निम्न सावधानियाँ भी अवश्य बरती जायें–

(क) वाहन को अलग करने से पहले हाथ के ब्रेक लगाने चाहिये, स्प्रेग/वुडनवेज/स्किड का प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि वाहन को रोलिंग डाउन से बचाया जा सके।

(ख) जहाँ तक संभव हो, वाहन/लोड/गाड़ी को उस लाइन पर खडा किया जाना चाहिये जो दूसरी लाइनों विशेष कर रनिंग लाइन से पृथक (आइसोलेट) हो।

Scanned with OKEN Scanner

सा.नि. 5.23 (3) लोको सहित लोड/गाडी को स्टेबल किये जाने या लाइट इंजन को बंद या स्टेबल किये जाने पर लोको छोड़ने से पहले लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही–
(क) एसए–9 तथा ए–9 दोनों ब्रेक लगाना।
(ख) पार्किंग ब्रेक तथा हैंड ब्रेक लगाना।
(ग) लोको में उपलब्ध पुश्त ब्रेक से लोको को सिक्योर करना।

सा.नि. 5.23(4) (ख) जब लोको पायलट ड्यूटी पर तैनात हो तो [illegible] लोको [illegible] नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उसे ऐसा करना पड़े तो उसे स्टेशन मास्टर/गार्ड मास्टर या [illegible] को [illegible] सहायक नियम 5.23 (3) (क) (ख) एवं (ग) का सुनिश्चित करना चाहिये।

[illegible] गार्ड [illegible] लोको पायलट [illegible] गार्ड द्वारा स्टेशन मास्टर द्वारा [illegible] [illegible] से [illegible] किया जाना चाहिये कि [illegible]

सा.नि. 5.23 (5) दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य किसी कारण से यदि गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में [illegible] करना पड़े तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट तथा गार्ड द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी चाहिये–

- (क) लोको पायलट/सहायक लोको पायलट तथा गार्ड द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम के प्रावधान 6.03 के अनुसार गाड़ी का बचाव करना चाहिये।
- (ख) लोको ब्रेक (एस ए–9, ए–9 एवं हैंड ब्रेक) तथा गाड़ी के दोनों सिरे के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेक लगा कर सिक्योर करना चाहिये। सहायक लोको पायलट द्वारा आगे वाले तथा गार्ड द्वारा पीछे वाले हैंड ब्रेक को लगाना चाहिये। यदि गाड़ी बिना गार्ड के चलाई जा रही है तो गार्ड की ड्यूटी सहायक लोको पायलट द्वारा की जायेगी। कोचिंग ट्रेन के मामले में लोको पायलट द्वारा लोको ब्रेक लगाने के अतिरिक्त गार्ड द्वारा एसएलआर का हैंड ब्रेक भी लगाना चाहिये।
- (ग) जब गाड़ी खड़ी हो एवं उस दौरान एमआर प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है तो लोको पायलट को वेजेज लगाकर इंजन को सुरक्षित करना है। चूंकि एसएलआर में इंजन की तरह ऐसा कोई गेज नहीं होता, गार्ड तुरन्त एम आर प्रेशर नहीं देख सकता, इसलिए लोको पायलट एम आर प्रेशर गिरने के बारे में गार्ड को तुरन्त सूचित करेगा और तदुपरान्त गार्ड अन्तिम वाहन में वेजेज लगाकर गाड़ी को सुरक्षित करेगा।

सभी सम्बन्धित इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

[signature] 14/01/25
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (यातायात)

प्रति:–

महाप्रबन्धक के सचिव– महाप्रबन्धक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव– अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

प्र.मु.वि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी., मु.सि.व दूर सं.इंजी., प्राचार्य क्षे.रे.प्र.सं.– को सूचनार्थ।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :–अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with OKEN Scanner